भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1769

04 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

1769. श्री महेंद्र भट्ट:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु पिछले तीन वर्षों में कौन-कौन से प्रमुख कदम उठाए गए हैं; और

(ख) क्या उत्तराखंड में एक नया आयुष महाविद्यालय अथवा शोध संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचारधीन है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क):आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नियामक निकायों, अर्थात् भारतीय चिकित्सा पद्धति अधिनियम, 2020 और भारतीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 के तहत क्रमश: स्थापित भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) के माध्यम से विभिन्न उपाय किए हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान किए गए उपायों का ब्यौरा **संलग्नक** में दिया गया हैं।

(ख): जन स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, नए आयुष शिक्षण संस्थानों की स्थापना की प्राथमिक जिम्मेदारी उत्तराखंड सहित संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। हालांकि, राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत, उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है। तदनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एनएएम दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करके वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि, उत्तराखंड राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एसएएपी के माध्यम से नए आयुष शिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) जो एक स्वायत्त संगठन है, द्वारा उत्तराखंड में अपनी परिधीय इकाई, क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान (आरएआरआई), रानीखेत (तारीखेत) के माध्यम से एक महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में, उत्तराखंड में किसी नए अनुसंधान संस्थान की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

संलग्नक

आयुष पद्धति में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विगत तीन वर्षों में किए गए महत्वपूर्ण उपाय:

(क) भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम) द्वारा किए गए उपाय

(i) विनियमन: आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एनसीआईएसएम द्वारा स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर निम्नलिखित नियम बनाए गए, प्रकाशित किए गए और लागू किए गए:

1. भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय आयुर्वेद शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम- 2022
2. भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय यूनानी शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम- 2022
3. भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकीय सिद्ध शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम- 2022
4. भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (अर्हता मान्यता) विनियम, 2023
5. भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय परीक्षा) विनियम, 2023
6. भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (आचार एवं पंजीयन) विनियम, 2023
7. भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (आयुर्वेद स्नातक महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम, 2024
8. भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (यूनानी स्नातक महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम, 2024
9. भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (सिद्ध स्नातक महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम, 2024
10. भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (आयुर्वेद स्नातकोत्तर महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम, 2024
11. भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (सिद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालयों और संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, आकलन और रेटिंग) विनियम, 2024
12. भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (यूनानी स्नातकोत्तर महाविद्यालयों और उनसे संबद्ध शिक्षण अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक, मूल्यांकन और रेटिंग) विनियम, 2024
13. भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (प्री-आयुर्वेद प्रोग्राम फॉर बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी विनियम), 2024

(ii) **पाठ्यक्रम:** नई शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप चिकित्सा शिक्षा में वैश्विक मानकों और मेधावी एवं कुशल आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी स्नातकों को तैयार करने के लिए, एनसीआईएसएम ने चिकित्सा शिक्षा नीति, शिक्षा में आवश्यक मानकों, शैक्षणिक अभिशासन, शिक्षण/प्रशिक्षण पद्धतियों, मूल्यांकन प्रक्रिया, शिक्षा में तकनीकी सहायता और योग्यता-आधारित पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं।

यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिग्पा बोर्ड और आयुर्वेद बोर्ड ने निम्नलिखित पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या कार्यक्रम तैयार, प्रकाशित और लागू किए हैं:

1. प्रथम व्यावसायिक बीएसएमएस के लिए योग्यता आधारित पाठ्यक्रम और विषय-सूची
2. द्वितीय व्यावसायिक बीएसएमएस के लिए योग्यता आधारित पाठ्यक्रम और विषय-सूची
3. तृतीय व्यावसायिक बीएसएमएस के लिए योग्यता आधारित डायनामिक पाठ्यक्रम और विषय-सूची
4. विकास
5. प्रथम व्यावसायिक बीएएमएस के लिए योग्यता आधारित पाठ्यक्रम और विषय-सूची
6. द्वितीय व्यावसायिक बीएएमएस के लिए योग्यता आधारित पाठ्यक्रम और विषय-सूची
7. तृतीय व्यावसायिक बीएएमएस के लिए योग्यता आधारित पाठ्यक्रम और विषय-सूची
8. प्रथम व्यावसायिक बीयूएमएस के लिए योग्यता आधारित पाठ्यक्रम और विषय-सूची
9. द्वितीय व्यावसायिक बीयूएमएस के लिए योग्यता आधारित पाठ्यक्रम और विषय-सूची
10. तृतीय व्यावसायिक बीयूएमएस के लिए योग्यता आधारित गतिशील पाठ्यक्रम और विषय-सूची
11. आयुर्वेद में जैवसांख्यिकी के स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए परिणाम आधारित पाठ्यक्रम और विषय-सूची 11. आयुर्वेद में अनुसंधान पद्धति के स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए परिणाम आधारित पाठ्यक्रम और विषय-सूची
12. सिद्ध में जैवसांख्यिकी के स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए योग्यता आधारित पाठ्यक्रम और विषय-सूची
13. सिद्ध में अनुसंधान पद्धति के स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए योग्यता आधारित पाठ्यक्रम और विषय-सूची
14. यूनानी में जैवसांख्यिकी के स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए योग्यता आधारित पाठ्यक्रम और विषय-सूची
15. यूनानी में अनुसंधान पद्धति के स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए योग्यता आधारित पाठ्यक्रम और विषय-सूची
16. आयुर्वेद में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के दूसरे, तीसरे और छठें सेमेस्टर के लिए परिणाम आधारित पाठ्यक्रम और विषय-सूची
17. स्नातकोत्तर सिद्ध के लिए दूसरे, तीसरे और छठें सेमेस्टर के 16 स्नातकोत्तर कार्यक्रमों हेतु योग्यता आधारित डायनामिक पाठ्यक्रम एवं विषय-सूची
18. स्नातकोत्तर यूनानी के लिए दूसरे, तीसरे और छठें सेमेस्टर के 15 स्नातकोत्तर कार्यक्रमों हेतु योग्यता आधारित डायनामिक पाठ्यक्रम एवं विषय-सूची

(iii) स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम सुधार:

1. व्यावसायिक कौशल और व्यवहार कौशल को बढ़ावा देने के लिए व्याख्यान और गैर-व्याख्यान घंटों का अनुपात बदलकर 1:2 कर दिया गया है।
2. ऐच्छिक विषयों की शुरुआत छात्रों को विभिन्न संबद्ध विषयों से परिचित कराने, उन्हें समझने और उनसे अवगत कराने, अंतःविषयक दृष्टिकोण विकसित करने और स्व-निर्देशित/मार्गदर्शित अधिगम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है।
3. नियमित कक्षाएं शुरू होने से पहले नव प्रवेशित छात्रों के लिए संक्रमणकालीन पाठ्यक्रम के साथ एक प्रेरण कार्यक्रम शुरू किया गया है।
4. योग्यता आधारित डायनामिक पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या को सुव्यवस्थित स्नातक विशेषताओं, कार्यक्रम परिणामों, पाठ्यक्रम परिणामों, कठिनाई स्तर, वैश्विक मानकों के अनुरूप उन्नत

शिक्षण-प्रशिक्षण विधियों, छात्रों के सतत मूल्यांकन के लिए रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन विधियों, प्रश्न पत्र की रूपरेखा, ऊर्ध्वाधर/क्षैतिज एकीकरण इत्यादि के साथ शुरू किया गया है।

5. अधिक नैदानिक प्रशिक्षण अनुभव प्रदान करने और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए प्रारंभिक नैदानिक अनुभव पहले व्यावसायिक सत्र से ही शुरू हो जाता है।
6. पुस्तकालय का प्रभावी उपयोग करने, सह-पाठ्यक्रम/अतिरिक्त पाठ्यचर्या गतिविधियों में प्रतिभा का प्रदर्शन करने और शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने हेतु नियमित समय-सारणी में सभी बैचों के लिए पुस्तकालय, खेल और मनोरंजन के लिए अलग-अलग समय निर्धारित किया गया है।
7. आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा में आधुनिक प्रगति, वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के अनुपूरक को शामिल करने के लिए पद्धतियाँ शुरू की गई हैं।
8. विश्वविद्यालय परीक्षा (योगात्मक मूल्यांकन) के अतिरिक्त, रचनात्मक मूल्यांकन शुरू किया गया है, जिसमें नौ आवधिक परीक्षाएँ और दो सत्र परीक्षाएँ शामिल हैं।
9. नैदानिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए स्नातक स्तर पर नैदानिक कौशल/सिमुलेशन लैब शुरू की गई है।

(iv) स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम सुधार:

1. सेमेस्टर प्रणाली लागू की गई है और सेमेस्टर-विशिष्ट विषय/प्रश्न पत्र बनाए रखे गए हैं।
2. पीजी में क्रेडिट ढांचा लागू किया गया है। संबंधित विशेषज्ञता के उच्च आत्मविश्वास और सक्षम विशेषज्ञ तैयार करने के लिए प्रत्येक क्रेडिट में व्याख्यान, व्यावहारिक प्रशिक्षण और अनुभवात्मक अधिगम 1:2:3 के अनुपात में होंगे।
3. सेमेस्टर ग्रेड प्वाइंट औसत (एसजीपीए) की गणना करने और विश्वविद्यालय की अंतिम परीक्षा में बैठने की पात्रता का आकलन करने के लिए इकाई-वार मूल्यांकन और मॉड्यूलर मूल्यांकन सहित रचनात्मक मूल्यांकन शुरू किए गए हैं।
4. डोमेन-विशिष्ट और क्षमता संवर्धन श्रेणियों के अंतर्गत मुख्य विषयों के साथ-साथ स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए ऐच्छिक पाठ्यक्रम भी शुरू किए गए हैं।
5. प्रतिरक्षा विज्ञान और हिस्टोपैथोलॉजी से संबंधित परीक्षणों में उन्नत अध्ययन करने के लिए स्नातकोत्तर संस्थानों में आणविक जीवविज्ञान प्रयोगशाला शुरू की गई है।
6. प्रत्येक स्नातकोत्तर कार्यक्रम के लिए शोध के प्रमुख क्षेत्रों को विशेषज्ञता-विशिष्ट कार्यक्रम परिणामों के साथ निर्धारित किया गया है और बहु-विषयक अनुसंधान को बढ़ावा दिया गया है।
7. पीजी संस्थानों की अनुसंधान गतिविधियों को विनियमित और समन्वित करने के लिए एकीकृत स्वास्थ्य और ट्रांसलेशनल अनुसंधान विभाग की स्थापना की गई है।

(v) शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एनसीआईएसएम द्वारा की जा रही अन्य पहलें:

1. देश भर में एकसमान शैक्षणिक प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम अवधि के लिए एक शैक्षणिक कैलेंडर लागू किया गया है।
2. प्रत्येक शिक्षक को हर महीने के पहले शुक्रवार को शिक्षण प्रौद्योगिकी पर एक लेख और तीसरे शुक्रवार को एक शोध लेख ईमेल के माध्यम से भेजा जाता है ताकि उन्हें शिक्षा प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम जानकारी प्राप्त हो सके।

(vi) प्रौद्योगिकी का उपयोग:

1. क्यूआर कोड युक्त पाठ्यक्रम: एनसीआईएसएम साइट पर अपलोड किया गया।
2. एलएमएस (लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम) के माध्यम से ऐच्छिक पाठ्यक्रम।
3. आयुष ग्रिड के अंतर्गत एनसीआईएसएम प्लेटफॉर्म/पोर्टल।
क) आईएसएम में प्रधानाचार्यों के लिए शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन कार्यशालाओं का पोर्टल।
ख) आईएसएम संस्थानों के अनुसंधान एवं नवाचार प्रकोष्ठ के समन्वयकों के लिए उद्यमिता विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यशालाओं का पोर्टल।
ग) आईएसएम स्नातकोत्तर संस्थानों के स्नातकोत्तर मार्गदर्शकों के लिए वैज्ञानिक लेखन, अनुसंधान सत्यनिष्ठा और प्रकाशन नैतिकता पर स्नातकोत्तर मार्गदर्शक अभिविन्यास कार्यशालाओं का पोर्टल।
घ) विकसित मूल्यांकन पैमाने के अनुसार पाठ्यपुस्तक गुणवत्ता मूल्यांकन का पोर्टल।
ङ) आईएसएम पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या तैयार करने के लिए सॉफ्टवेयर।
च) शैक्षिक जीवनचक्र प्रबंधन प्रणाली, शिक्षण प्रबंधन प्रणाली और सहयोगात्मक प्रणाली, जो आयुष ग्रिड के साथ एकीकृत है।
छ) आईएसएम संस्थानों में *आजादी का अमृत महोत्सव* गतिविधियों का पोर्टल।
ज) संस्थान एवं परामर्श अधिकारियों द्वारा प्रवेशित छात्रों के ऑनलाइन डेटा जमा करने का पोर्टल।
झ) ऐच्छिक पाठ्यक्रमों के लिए पोर्टल।
ञ) डिग्री मान्यता प्रणाली के लिए पोर्टल।
ट) आईएसएम संस्थानों के शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए विकसित किया गया पोर्टल।

(vi) परीक्षाएं:

1. एनसीआईएसएम ने शिक्षण पेशे को अपनाने के इच्छुक शिक्षकों के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के अंतर्गत आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी विषयों के प्रत्येक विषय के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (एनटीईटी) लागू की है।
2. एनसीआईएसएम ने यूनानी प्री-तिब्ब कार्यक्रम में प्रवेश के लिए एनसीआईएसएम प्री-तिब्ब परीक्षा, काउंसलिंग और सीट आवंटन आयोजित किया।
3. आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी के बीएएमएस, बीएसएमएस और बीयूएमएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय प्रवेश सह पात्रता परीक्षा (एनईईटी) एनटीए द्वारा आयोजित की गई है।
4. अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा (एआईएपीजीईटी) एनसीआईएसएम द्वारा एनटीए के माध्यम से आयोजित की गई है।

(ख) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) द्वारा किए गए उपाय:

(i) **विनियम:** होम्योपैथी में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर एनसीएच द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाए, प्रकाशित किए और लागू किए गए:-

1. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम - बैचलर ऑफ होम्योपैथीक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.)विनियम, 2022
2. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और होम्योपैथी के चिकित्सकों के लिए आचार संहिता) विनियम, 2022
3. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी चिकित्सकों का राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने हेतु प्रविधि एवम रखरखाव) विनियम, 2022
4. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (सामान्य) विनियम, 2023
5. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी अर्हता को मान्यता) विनियम, 2023
6. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (राष्ट्रीय होम्योपैथी परीक्षा) विनियम, 2023

7. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी चिकित्सा अनुसंधान) विनियम, 2023
8. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (चिकित्सा संस्थानों का मूल्यांकन और रेटिंग) विनियम, 2024
9. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी महाविद्यालयों तथा संलग्न अस्पतालों के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक स्तर) विनियम, 2024
10. होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थान की स्थापना (अध्ययन का नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारंभ करना तथा चिकित्सा संस्थान द्वारा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना) विनियम, 2024
11. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम- होम्योपैथी में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन) विनियम, 2024

(ii) **शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एनसीएच द्वारा की गई अन्य पहलें:**

1. एनईपी, 2020 के अनुरूप स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर योग्यता-आधारित डायनामिक पाठ्यक्रम (सीबीडीसी) का कार्यान्वयन।
2. पाठ्यक्रम में अनुसंधान-उन्मुख ऐच्छिक विषयों और अनुसंधान पद्धति का परिचय।
3. एकीकृत शिक्षण को सुदृढ़ करने के लिए बीएचएमएस पाठ्यक्रम में मनोविज्ञान, आधुनिक औषध विज्ञान और योग विषयों को शामिल करना।
4. कौशल प्रयोगशालाओं की अनिवार्य स्थापना और बेसिक कार्डियक लाइफ सपोर्ट (बीसीएलएस), आपातकालीन देखभाल और छोटी शल्यक्रियाओं में प्रशिक्षण।
5. शिक्षा जीवन चक्र प्रबंधन (ईएलसीएम) पोर्टल, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) और ई-लर्निंग मॉड्यूल के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा का डिजिटलीकरण।
6. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों में इंटर्नशिप पोस्टिंग के माध्यम से नैदानिक अनुभव का सुदृढ़ीकरण करना।
7. स्नातक स्तर पर अनुसंधान पद्धति का परिचय और स्नातकोत्तर स्तर पर अनुसंधान पद्धति विभागों की अनिवार्य स्थापना।
8. अंतरविषयक नैदानिक प्रशिक्षण और सहयोगात्मक रोगी देखभाल को बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम आवश्यक मानक (एमईएस), 2024 के तहत होम्योपैथिक चिकित्सा संस्थानों में आधुनिक चिकित्सा परामर्शदाताओं (चिकित्सक, सर्जन, स्त्री रोग विशेषज्ञ और पैथोलॉजिस्ट) की अनिवार्य नियुक्ति।
9. केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच) के सहयोग से स्नातकोत्तर छात्रों और संकाय के लिए अनुसंधान पद्धति प्रशिक्षण।
10. एसएमएआरटी (आधुनिक विकास अनुसंधान और प्रौद्योगिकी पूरक)-होम्योपैथी के तहत आधुनिक प्रगति को शामिल करने के लिए विषयवार समितियों का गठन।
11. होम्योपैथी में नैदानिक परीक्षणों के लिए बेहतर नैदानिक प्रथाओं (जीसीपी) दिशानिर्देशों पर वैकल्पिक पाठ्यक्रमों के लिए सीसीआरएच और एनसीएच के बीच समझौता ज्ञापन।
12. सीबीडीसी के कार्यान्वयन के लिए संकाय प्रशिक्षण, जिसमें 3,145 स्नातक संकाय, 602 स्नातकोत्तर संकाय और 450 चिकित्सा अधिकारी शामिल हैं।
13. यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के लिए सीबीडीसी प्रशिक्षण- चौथे वर्ष के यूजी और पीजी विषयों के लिए वर्चुअल रूप से प्रशिक्षण आयोजित किया गया- एचईबी द्वारा यूजी के लिए वर्चुअल प्रशिक्षण 16 जून और 30 जून, 2026 को तथा पीजी के लिए 18, 25 और 26 मई, 2026 को आयोजित किया गया। यूजी के कुल 1658 छात्रों ने पाँच विषयों में भाग लिया, जबकि पीजी विषयों में मटेरिया मेडिका-144, ऑर्गेनॉन- 138, मनोचिकित्सा-43, रिपर्टरी-132, सामुदायिक

चिकित्सा-25, अनुसंधान पद्धति-73, चिकित्सा अभ्यास- 96, बाल रोग-60, होम्योपैथिक फार्मेसी-51 और त्वचाविज्ञान-7 शामिल थे।

14. आयुष शिक्षा पोर्टल पर क्षेत्र-वार क्षमता निर्माण कार्यशालाएँ आयोजित की गईं।
15. जून-जुलाई, 2022 के दौरान ऑनलाइन नैदानिक अनुसंधान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 600 संकाय सदस्यों और 2,300 स्नातकोत्तर छात्रों ने भाग लिया।
16. वर्ष 2025 और 2026 में राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन।
17. सीबीडीसी पाठ्यक्रम के लिए नियमित संकाय विकास प्रशिक्षण सह संवादात्मक सत्र।
18. स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों और संकाय सदस्यों को अनुसंधान करने और शोध पत्र प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित करके साक्ष्य-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना।
19. नए होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों/अस्पतालों की स्थापना और स्नातक तथा स्नातकोत्तर सीटों में वृद्धि के लिए आवेदन आमंत्रित किए।
20. निर्धारित मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों और संबद्ध अस्पतालों का आवधिक निरीक्षण और मूल्यांकन।

(ग) योग शिक्षा: आयुष मंत्रालय अपने स्वायत्त निकाय, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एमडीएनआईवाई) के माध्यम से योग को बढ़ावा देता है। एमडीएनआईवाई योग शिक्षा के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। एमडीएनआईवाई की गतिविधियों और कार्यक्रमों की जानकारी इसकी वेबसाइट https://www.yogamdniy.nic.in पर उपलब्ध है।
